न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:–960/2022
दाउदनगर थाना कांड संख्या :–464/2022

10.10.2022 आवेदकगण नामतः अर्जुन सिंह उर्फ अर्जुन मेहता, गायत्री देवी, रंधीर कुमार, सोनी देवी उर्फ सोनी कुमारी एवं सुषमा कुमारी के द्वारा उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई।

वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण का जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद द्वारा क्रमशः अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1549/2022 में पारित आदेश दिनांक–12.09.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करना चाहते है । अतः बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण का जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद द्वारा क्रमशः अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1549/2022 में पारित आदेश दिनांक–12.09.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । उक्त आदेश के तहत उपरोक्त आवेदकगण को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार होने या आत्मसमर्पण करने पर मो0–10000X2 (दस हजार) रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू पर माननीय निचली अदालत की संतुष्टि उपरांत एवं धारा 438(2) दं0प्र0सं0 के अनुपालन के आलोक में विभिन्न शर्तो के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है । आवेदकगण वर्णित आदेश का अक्षरशः पालन करने का कथन करते है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है । आवेदकगण समय सीमा के अंतर्गत आत्मसमर्पण किये है ।

अतः आवेदकगण को उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।